आर.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00160

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

पर्चा डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 60/2020 (गायत्री देवी बनाम पर्वतसिंह वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 13.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.07.2022 द्वारा पारित निर्णयानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम पाटोदा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 0.28 है0, ख0न0 101 रकबा 4.67 है0, ख0न0 50 रकबा 2.96 है0, ख0न0 66 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.23 है0 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से की भूमि में से 1.08 है0 भूमि का वादीया को मुताबिक विक्रय पत्र खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.07.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट) 13/7/22
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 60/2020

गायत्री देवी आयु 50 वर्ष पत्नी ताराचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।

वादी

बनाम

1. पर्वतसिंह पुत्र उतमसिंह जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. भवानीसिंह पुत्र उतमसिंह जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुझुन
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र उतमसिंह जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुझुन
4. शिलुकवंर पत्नी उतमसिंह जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुझुन
5. सोनकवंर पत्नी बालसिंह जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
6. किशोरसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
7. दलीपसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
8. रतनसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
9. उगमसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी पाटोदा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
10. मुरारीलाल पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति अहीर (यादव) निवासी भैरूगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू
11. संदीपकुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति अहीर (यादव) निवासी भैरूगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू
12. लाली देवी पत्नी द्वारकाप्रसाद जाति अहीर (यादव) निवासी भैरूगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू
13. रोशन पुत्र रामकुमार जाति अहीर (यादव) निवासी दलोता तहसील खेतड़ी जिला झुझुनू
14. लालचन्द पुत्र रामकुमार जाति अहीर (यादव) निवासी दलोता तहसील खेतड़ी जिला झुझुनू
15. शिशराम पुत्र रामकुमार जाति अहीर (यादव) निवासी दलोता तहसील खेतड़ी जिला झुझुनू
16. हवासिंह पुत्र रामकुमार जाति अहीर (यादव) निवासी दलोता तहसील खेतड़ी जिला झुझुनू
17. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मण्डावा जरिये शाखा प्रबन्धक
18. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टांई जरिये शाखा प्रबन्धक
19. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिसाऊ जरिये शाखा प्रबन्धक
20. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 13.07.2022

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम .पाटोदा पटवार हल्का पाटोदा की सरहद में भूमि गत ख0न0 119 रकबा 1 बीघा 2 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 512 रकबा 0.28 है0 तथा वाके ग्राम ढ़ाणी पाटोदा के गत ख0न0 54 रकबा 36 बीघा 10 बिश्वा के हाल ख0न0 101 रकबा 4.67 है0, ख0न0 50 रकबा 2.96 है0, ख0न0 66 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.23 है0 भूमि अवस्थित है। जो वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिस पर वादीया अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। भूमि गत ख0न0 119 व ख0न0 54 कुल किता 2 कुल रकबा 37 बीघा 12 बिश्वा में वादीया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिसरान उतमसिंह की 18 बीघा 8 बिश्वा में से 4 बीघा 6 बिश्वा पुख्ता भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2002 को क्रय कर विक्रय पत्र उप पंजीयक मलसीसर के यहां तस्दीक करवा दिया गया था। विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के दौरान ही विक्रय पत्र की एक प्रति हल्का पटवारी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु दे दी गई थी। परन्तु सहवन से विक्रय पत्र का नामान्तरकरण केता (वादीया) के नाम दर्ज नहीं हुआ। फलस्वरूप प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया। इसलिये वादीया अपनी क्रयशुदा भूमि 4 बीघा 6 बिश्वा पुख्ता यानी 1.08 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के दर्ज हिस्से में से कम कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार अपने नाम खातेदार काश्तकार धोषित करवाने की अधिकारी है। अंत में वाद वादीया स्वीकार फरमाया जाकर रजिस्टर्ढ विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2002 के आधार पर भूमि ख0न0 119 व 54 में से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में से 4 बीघा 6 बिश्वा पुख्ता यानी 1.08 है0 भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर मुताबिक वाद पत्र वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 16 बाद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 16 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद वादी डिकी फरमाया जाकर वादीया को मुताबिक विक्रय पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से की भूमि में से 1.08 है0 का खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2002 वादीया द्वारा उतमसिंह पुत्र अर्जनसिंह से भूमि खेत खसरा नम्बर 119 व 54 कुल किता दो कुल रकबा 37 बीघा 12 बिश्वा भूमि में विक्रेता उतमसिंह के हिस्से 18 बीघा 8 बिश्वा में से 4 बीघा 6 बिश्वा भूमि क्रय की गई है। मुताबिक विक्रय पत्र क्रय की गई भूमि का वादीया द्वारा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है। उतमसिंह के वारिसान द्वारा इकबाली जवाब पेश

कर मुताबिक वाद पत्र वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया है। समस्त साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम पाटोदा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 0.28 है0, ख0न0 101 रकबा 4.67 है0, ख0न0 50 रकबा 2.96 है0, ख0न0 66 रकबा 1.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.23 है0 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से की भूमि में से 1.08 है0 भूमि का वादीया को मुताबिक विक्रय पत्र खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/7/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर